इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी 2018—माघ 26, शक 1939

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. 84(9)-वि.निर्वा.-चार-2017-उपचुनाव-41.—भारत निर्वाचन आयोग का निम्नांकित निर्देश क्रमांक 576/3/EVM/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL-I/2018, दिनांक 7 फरवरी 2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 7 फरवरी 2018

निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2018.—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यत: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यतः, आयोग ने **मध्यप्रदेश में 27-कोलारस व 34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों** जिनमें वर्तमान में उप-निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा उक्त प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं.

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा **मध्यप्रदेश में 27-कोलारस व 34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 30-01-2018 को उक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित मध्यप्रदेश के चालू उप-निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगें.

5. आयोग एतद्द्वारा भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्टॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर, जिसे उक्त वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(एन. टी. भूटिया)
सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 7th February, 2018

DIRECTION

No. 576/3/EVM/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.-I/2018.—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be preseccribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, as per the proviso to rule 49A of the Conduct of Elections rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Where, the Commission has considered the circumstances in **27-Kolaras & 34-Mungaoli Assembly Constituencies in Madhya Pradesh,** in which bye-elecation are currently in progress, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting machines and Printers for Paper Trail are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printer for Paper Trail and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the said Printers;

4. Now, THEREFORE, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies **27-Kolaras & 34-Mungaoli Assembly constituencies in Madhya Pradesh,** as the constituencies in

which the votes at the current bye-election to the State Legislative Assemblies of Madhya Pradesh from the said constituencies, notified on 30-01-2018, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box (VVPAT) as developed by the Bharat Electronics Ltd. Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said voting machines, to be used for the giving and recording of votes in the above said Parliamentary and Assembly Constituencies.

By order,
Sd./-
(N. T. BHUTIA)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.